

38

दिनांक - 17/10/2012  
M-9899226340

वा में

कैन्द्रीय जन सूचना अधिकारी  
ग्रह मंत्रालय, भारत सरकार  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

Dy No. 5108 /2012-RTI  
17/10/2012

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना  
संदेह,

- :- पत्र संख्या-F13/5/2003/HP-1/ESst./3252 दिनांक -22/07/2004 के अनुसार दिल्ली पुलिस  
भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय के अधीन होती है। बताया हुआ है।
- :- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या -43011/78/2003 ESst.(RES) दिनांक -22/04/2008 के  
अनुसार आरक्षण नीति भारत सरकार के सभी कार्मिकों/ मंत्रालयों में एक समान रूप से लागू  
होती है। बताया हुआ है।
- :- आपके कार्यालय (MHA) के पत्र संख्या-14011/39/2008-UTP दिनांक-16/04/2012 के अनुसार  
दिल्ली पुलिस में आरक्षण श्रेणी की अन्य विधवा वर्ग की ग्रुप 'C' तथा ग्रुप 'D' की भर्ती  
कैन्द्रीय सूची और दिल्ली राज्य सूची (BOTH LIST) के अनुसार की जाती है। बताया हुआ है।

✓) बताया जाय :- दिल्ली में भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय के अधीन सभी कार्मिकों में इस  
आरक्षण नीति को लागू कर दिया गया है ? अगर हाँ ? तो इसके आदेश की फोटो कॉपी  
दी जाय। और अगर नहीं ? तो कब तक लागू किया जायगा ? दिनांक/महीना/वर्ष सहित  
पूर-पूर विवरण दिया जाय।

17/10/2012

( हेमन्त सिंह )

L-9, बाल उद्यान रोड  
उत्तम नगर  
नई दिल्ली-110059,

सलाहक :- यथा वर्णित

नोट :- कृपया उत्तर स्वीट पोस्ट द्वारा  
दिया जाय।

27/10

सं. I-11034/52/2013-एन.एम./एएनओ-1

भारत सरकार  
गृह मन्त्रालय  
नक्सल प्रबंधन विभाग  
(नक्सल विरोधी अभियान स्कंध)

कमरा सं. 13-ए, नॉर्थ ब्लॉक,  
नई दिल्ली, दिनांक 03.01.2014

सेवा में,

श्री हरेन्द्र सिंह,  
एल-9, वाल उद्यान रोड,  
उत्तम नगर, नई दिल्ली

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

संदर्भ इस मंत्रालय का पत्र संख्या 14036/109/2012-यूटीपी दिनांक 27.12.2013 है जिसके माध्यम से आपका उपरोक्त आवेदन दिनांक 17.10.2012 इस स्कंध को दिनांक 30.12.2013 को श्री चित्रा नारायण, अवर सचिव एवं केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त आवेदन के माध्यम से आपके द्वारा माँगी गई जानकारी इस स्कंध के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अतः इस संबंध में इस स्कंध की सूचना शून्य है।

3. उक्त आवेदन से संबंधित पुनरावेदन (Appeal), यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर्गत श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव (नक्सल विभाग), कमरा सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को किया जा सकता है।

दलजीत सिंह

(दलजीत सिंह चौधरी)

निदेशक (न0वि0अ0-1) एवं कें0लो0सू0अ0

टेली.फैक्स: 2309 2670

PB No. 06/AN/0-11/14  
47-03/01/14